संख्या-26/2018/1231/64-2-2018-1(68)/2006

प्रेषक,

रणविजय सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 28 नवम्बर,2018

विषय:- पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए संचालित 'ओ' लेवल एवं सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-980/पि0व0क0/2018-19,दिनांक 27 जुलाई,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें,जिसके द्वारा पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए संचालित 'ओ' लेवल एवं सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना को वित्तीय वर्ष 2018-19 से ऑनलाईन संचालित किए जाने के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-06/2018/190/64-2-2018-1(68)/2006,दिनांक 27 फरवरी,2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कतिपय आंशिक संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण नियमावली-2007, 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना(प्रथम संशोधन) नियमावली-2016 एवं 'ओ' लेवल तथा सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना द्वितीय संशोधन नियमावली-2017 के प्राविधानों एवं उक्त संदर्भित

--- 2 ---

http://shasanadesh.up.nic.in

-1यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
-2इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश दिनांक 27 फरवरी,2018 के माध्यम से निर्गत दिशा-निर्देशों के तहत् संचालित 'ओ' लेवल एवं सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना को वित्तीय वर्ष-2018-19 से ऑनलाईन संचालित किए जाने हेतु संलग्न संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए समस्त परिधिगत अधिकारियों को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
(रणविजय सिंह)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-26/2018/1231/64-2-2018-1(68)/2006-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
5. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. राज्य योजना आयोग-1
7. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
(राम सुमेर)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

-1यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
-2इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए संचालित ओ ' लेवल / 'सी0सी0सी0 (CCC) कम्प्यूटर प्रशिक्षण को ऑनलाईन किए जाने हेतु दिशा निर्देश

क्र0 सं0	वर्तमान दिशा-निर्देश	संशोधित दिशा-निर्देश
4-(ग) (13)	प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क के भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 द्वारा सीधे ई पेमेन्ट के माध्यम से संस्था के बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी। भुगतान दो किस्तो में किया जायेगा। 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ होने व रजिस्ट्रेशन कराने तथा प्रथम 3 माह में 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित होने के बाद किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान प्रशिक्षण कार्य के 6 माह पूर्ण होने प्रशिक्षणार्थियों द्वारा कम से कम दो प्रश्नपत्र में परीक्षा में बैठने का	प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क के भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 द्वारा सीधे ई पेमेन्ट के माध्यम से संस्था के बैंक खाते में निम्न आधार पर की जायेगी :- (1) 'सी0सी0सी0' प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त संस्था द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को भुगतान हेतु मांग प्रेषित की जायेगी। सम्बन्धित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के स्तर से सत्यापनोपरान्त भुगतान हेतु मांग निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण को प्रेषित की जायेगी, तदोपरान्त निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण उ0प्र0 द्वारा भुगतान संस्था के खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। (2) 'ओ' लेवल प्रशिक्षण हेतु संस्था को भुगतान की जाने वाली धनराशि को तीन किस्तों में भुगतान किया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में 25 प्रतिशत धनराशि का भुगतान प्रशिक्षणदायी संस्था को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के एक माह पश्चात सत्यापन के उपरान्त किया जायेगा। विभाग द्वारा चयनित एवं संस्था द्वारा निलीट में पंजीकृत कराये गये प्रशिक्षणार्थियों में से भुगतान केवल उन्हीं छात्रों के सापेक्ष किया जायेगा जिन्होंने प्रथम माह के दौरान कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण की हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

	प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। प्रदेश स्तरीय समिति संस्थाओं का प्रतिवर्ष मूल्यांकन करेगी जिन संस्थाओं का प्रशिक्षण व परीक्षा परिणाम संतोषजनक नही पाया जायेगा उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के लिए चयन न करने पर विचार किया जायेगा।	द्वितीय किस्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान प्रशिक्षण शुरू होने के तीन माह के उपरान्त कुल शैक्षिक दिवसों के सापेक्ष समग्र रूप से 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति वाले छात्रों के सापेक्ष किया जायेगा। तृतीय किस्त के रूप में शेष 25 प्रतिशत का भुगतान प्रशिक्षणार्थियों के 'ओ' लेवल के दो पेपर की परीक्षा में सम्मिलित होने के प्रमाण पत्र के साथ संस्था द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को भुगतान हेतु मांग प्रेषित की जायेगी। सम्बन्धित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के स्तर से सत्यापनोपरान्त भुगतान हेतु मांग निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण को प्रेषित की जायेगी, तदोपरान्त निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण उ0प्र0 द्वारा भुगतान संस्था के खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। प्रदेश स्तरीय समिति संस्थाओं का प्रतिवर्ष मूल्यांकन करेगी, जिन संस्थाओं का प्रशिक्षण व परीक्षा परिणाम संतोषजनक नही पाया जायेगा उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के लिए चयन न करने पर विचार किया जायेगा।

(रणविजय सिंह)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

-1यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
-2इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 06/2018/190/64-2-2018-1(68)/2006

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 फरवरी,2018

विषय:-पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए संचालित 'ओ' लेवल एवं सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना को वित्तीय वर्ष 2018-19 से ऑनलाईन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2467/पि0व0क0/2018-19,दिनांक 08 फरवरी,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें,जिसके द्वारा पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए संचालित 'ओ' लेवल एवं सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना को वित्तीय वर्ष 2018-19 से ऑनलाईन किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण नियमावली-2007, 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना(प्रथम संशोधन) नियमावली-2016 एवं 'ओ' लेवल तथा सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना द्वितीय संशोधन नियमावली-2017 के तहत् संचालित 'ओ' लेवल एवं सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना को वित्तीय वर्ष-2018-19 से

--- 2 ---

ऑनलाईन संचालित किए जाने हेतु संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए समस्त परिधिगत अधिकारियों को अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही के निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव ।

संख्या- 06/2018/190/64-2-2018-1(68)/2006-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
5. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. राज्य योजना आयोग-1
7. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राम सुमेर)
उप सचिव ।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए संचालित 'ओ' लेवल/'सीसीसी (CCC)' कम्प्यूटर प्रशिक्षण को ऑनलाईन किए जाने हेतु दिशा निर्देश

1. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण नियमावली-2007, 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना(प्रथम संशोधन) नियमावली-2016 एवं 'ओ' लेवल तथा सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना द्वितीय संशोधन नियमावली-2017 के तहत् प्रदेश के पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए 'ओ' लेवल एवं सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना संचालित है।

2. इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिकृत संस्था 'नीलिट' NIELIT (National Institute of Electronics & Information Technology) से मान्यता प्राप्त कार्यरत संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।

3. नियमावली की व्यवस्थानुसार 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु अधिकतम प्रशिक्षण शुल्क रू0 15,000/-प्रति प्रशिक्षार्थी एवं 'सीसीसी (CCC)' कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु अधिकतम प्रशिक्षण शुल्क रू0 3,500/- प्रति प्रशिक्षार्थी निर्धारित है।

4. वित्तीय वर्ष 2018-19 से अन्य पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों हेतु 'ओ' लेवल एवं सीसीसी (CCC) कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना ऑनलाईन संचालित की जायेगी। इस हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा तैयार किये गये साफ्टवेयर पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमन्त्रित करने से लेकर प्रशिक्षण शुल्क की धनराशि स्वीकृति एवं वितरण इंटरनेट आधारित प्रणाली के माध्यम से निम्नानुसार किया जायेगा :-

(क) जनपद में भारत सरकार की अधिकृत संस्था 'नीलिट' NIELIT (National Institute of Electronics & Information Technology) से मान्यता प्राप्त व जनपद में कार्यरत व इच्छुक संस्थाओं द्वारा उक्त योजना हेतु निर्धारित विभागीय मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाईन विवरण भरते हुए पंजीकरण हेतु निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण के यहाँ आवेदन करना होगा।(संलग्नक-1) ऑनलाईन पंजीकरण के उपरान्त संस्था द्वारा समस्त अभिलेख व उपलब्ध संसाधनो से संबंधित विवरण निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश इंदिरा भवन लखनऊ कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा।

--- 2 ---

निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण द्वारा संस्थाओं से संबंधित समस्त अभिलेखों एवं संस्था के पास उपलब्ध आधारभूत संसाधनों का परीक्षण/भौतिक सत्यापन कराया जायेगा एवं सही पायी गयी संस्थाओं को प्रदेश स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर चयन कराया जायेगा। संस्थाओं के चयन हेतु निदेशालय स्तर पर निम्नवत कमेटी होगी:-

निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण-	अध्यक्ष
योजना अधिकारी मुख्यालय-	सदस्य सचिव
राज्य एन0आई0सी0 द्वारा नामित व्यक्ति-	सदस्य

प्रदेश स्तरीय कमेटी से चयन के बाद चयनित संस्थाओं को प्रशिक्षणर्थियों के आवेदन हेतु मास्टर डाटाबेस में Enable कराया जायेगा।

(ख) निदेशक,पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी समय-सारिणी के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों के आवेदन के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया का संचालन किया जायेगा।

(ग) प्रशिक्षणार्थियों के लिए <u>ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-</u>

(1) इस योजना के अन्तर्गत पात्र आवेदकों को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के वेबसाइट backwardwelfare.up.nic.in पर लॉगिन करके ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।(संलग्नक-2) अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(2) आवेदक द्वारा अपना आवेदन-पत्र "जन-सुविधा केन्द्रों" (कामन सर्विस सेन्टर), साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र अथवा विभागीय वेबसाइट पर स्वयं द्वारा भरा जा सकता है।

(3) लोकवाणी के माध्यम से स्थापित "जन-सुविधा केन्द्रों" के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने की स्थिति में आवेदक को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम् शुल्क जन-सुविधा केन्द्र प्रभारी को भुगतान करना होगा।

--- 3 ---

(4) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित आवेदक का होगा। यदि आवेदक द्वारा कोई प्रविष्टि गलत दर्ज कर दी जाती है तो आवेदक द्वारा दर्ज प्रविष्टियों में अन्तिम रूप से पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन पत्र सबमिट (Submit) करने से पूर्व तीन दिन के अन्दर सुधार किया जा सकता है।

(5) आवेदक द्वारा आवेदन के समय निर्धारित आवेदन-पत्र के प्रारूप के सभी कालमों को भरना अनिवार्य होगा।

(6) सम्बन्धित आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति डाउनलोड करके उस पर यथास्थान हस्ताक्षर बनाकर निम्न अभिलेखों सहित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा :-

(i) जाति प्रमाण पत्र

(ii) आय प्रमाण पत्र

(जाति/आय प्रमाण पत्र बोर्ड ऑफ रेवेन्यू/ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध होना अनिवार्य है)

(iii) हाईस्कूल का अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र

(iV) इण्टरमीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र

(V) आधार कार्ड की छायाप्रति

(7) आवेदक द्वारा ऑनलाईन अपलोड आवेदन-पत्र की हॉर्ड कॉपी समस्त संलग्नकों सहित प्राप्त होने के उपरान्त साफ्टवेयर पर इंट्री कराये गये आवेदक के डाटा का मिलान हार्ड कॉपी एवं सम्बन्धित शिक्षा परिषद व बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अथवा ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से की जायेगी।

(8) 'नीलिट' NIELIT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 'ओ' लेवल एवं सीसीसी (CCC) कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाने हेतु प्रशिक्षणार्थियों का चयन उनके कक्षा 12 में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा। प्रशिक्षणार्थियों

--- 4 ---

का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित निम्न जनपद स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा :-

जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी-	अध्यक्ष
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी-	सचिव/सदस्य
एन0आई0सी0 के जनपदीय अधिकारी-	सदस्य
जनपद में अवस्थित नीलिट मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था के प्रतिनिधि-	सदस्य

(9) जिन आवेदकों को सत्यापन/स्क्रूटनी में सही पाया जाता है ऐसे समस्त पात्र पाये गये लाभार्थियों की कक्षा 12 के अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में सूची तैयार की जायेगी और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा उपरोक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत कर समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा और निर्धारित लक्ष्य और बजट की सीमा तक प्रशिक्षणार्थियों की सूची संस्था को प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराई जायेगी। शेष अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में रखे जायेंगे और रिक्त अथवा लक्ष्य बढानें और अतिरिक्त बजट प्राप्त होने पर ही उनका प्रशिक्षण कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद समस्त प्रतीक्षा सूची समाप्त समझी जायेगी और मांग अग्रेनीत नही होगी।

(10) यदि किसी आवेदक द्वारा प्रशिक्षण हेतु गत वर्ष में आवेदन किया गया हो एवं धनराशि के अभाव में चयन न हुआ हो एवं उसके द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऑनलाईन आवेदन किया जाता है तो उसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में पात्रता की स्थिति में चयन हेतु पुनः विचार किया जा सकेगा ।

(11) उक्त समिति के निर्णय के आधार पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी आवेदकों के ऑनलाईन आवेदन पत्रों को डिजिटल सिग्नेचर से Selected/Not Selected कर लॉक करेंगे और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चयनित आवेदकों की सूची 'नीलिट' NIELIT में पंजीकरण व प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं को उनकी लागिन पर उपलब्ध करायी जायेगी तथा विभागीय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करायी जायेगी। यदि संस्था को प्रेषित सूची में से किसी आवेदक द्वारा पंजीकरण नहीं कराया जाता है अथवा पंजीकरण के बाद लगातर 15 दिन तक अकारण अनुपस्थित पाया जाता है, तो उसे प्रशिक्षण में उपस्थित होने के लिए एक नोटिस दी जायेगी। नोटिस देने के बाद भी यदि

--- 5 ---

वह प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नही होता है, तो उसकी सूचना संस्था द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को दी जायेगी एवं उक्त के क्रम में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा जनपदीय स्वीकृति समिति से अनुमोदित वरीयता सूची के अगले क्रम के आवेदकों का नाम पंजीकरण/प्रशिक्षण हेतु संबंधित संस्था को ऑनलाईन उपलब्ध कराया जायेगा। यदि प्रतीक्षा सूची में कोई आवेदक शेष नही है, तो नया चयन करा कर सूची जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा जनपदीय स्वीकृति समिति से अनुमोदित कराकर संस्था को ऑनलाईन उपलब्ध कराई जायेगी। सूची प्राप्त होते ही संस्था द्वारा प्रवेश की औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा और नीलिट द्वारा निर्धारित समय पर परीक्षा हेतु प्रशिक्षणर्थियों का नियमानुसार नीलिट में पंजीकरण व आवेदन कराया जायेगा।

(12) चयनित संस्था को 'नीलिट' NIELIT में संबंधित आवेदकों के पंजीकरण के उपरान्त, सूची पंजीकरण संख्या सहित निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण को प्रस्तुत करनी होगी। इसकी एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।

(13) प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क के भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 द्वारा सीधे ई पेमेन्ट के माध्यम से संस्था के बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी। भुगतान दो किस्तो में किया जायेगा। 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ होने व रजिस्ट्रेशन करानें तथा प्रथम 3 माह में 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित होनें के बाद किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान प्रशिक्षण कार्य के 6 माह पूर्ण होने प्रशिक्षणार्थियों द्वारा कम से कम दो प्रश्नपत्र में परीक्षा में बैठने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। प्रदेश स्तरीय समिति संस्थाओं का प्रतिवर्ष मूल्यांकन करेगी जिन संस्थाओं का प्रशिक्षण व परीक्षा परिणाम संतोषजनक नही पाया जायेगा उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के लिए चयन न करनें पर विचार किया जायेगा।

(14) निदेशालय एवं जनपद के विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए निरीक्षण आख्या निदेशालय को

--- 6 ---

नियमित रूप से भेजी जायेगी। कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना प्रदेश के सभी जनपदों में लागू की जायेगी। जिन जनपदों में 'नीलिट' NIELIT से मान्यता प्राप्त संस्थायें नहीं हैं, उन जनपदों के आवेदकों हेतु जनपद के निकटस्थ जनपद में संचालित 'नीलिट' NIELIT से मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा। ऐसे जनपदों के आवेदकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में संस्था का निर्धारण निदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण द्वारा किया जायेगा।

सम्बन्धित संस्था का निरीक्षण शासन, निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, योजना अधिकारी मुख्यालय, मण्डलीय उप निदेशक तथा संबंधित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी करने हेतु अधिकृत होंगे।

(15) जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी चयनित प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति संबंधित संस्था से प्रत्येक माह प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। संस्था का दायित्व होगा कि वह प्रशिक्षणार्थियों की आधार बेस्ड बायोमैट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था करे।

(16) प्रशिक्षण व परीक्षा के उपरान्त 'नीलिट' NIELIT द्वारा निर्गत प्रशिक्षण का अंकपत्र/प्रमाण-पत्र की एक प्रति संस्था द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

(महेश कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव ।

संलनक 1

'ओ' लेवल/'सी0सी0सी0' प्रशिक्षण हेतु संस्था का ऑनलाइन आवेदन

	जनपद-	वर्ष
1.	संस्था का नाम	
2.	संस्था का पता	
3.	नीलिट के एक्रीडीशन की संख्या	
4.	एक्रीडीशन की तिथि (विवरण अपलोड करें)	
5.	एक्रीडीशन की अवधि कब से कब तक	
6.	एक्रीडीशन किसके लिए है	'ओ' लेवल/सी0सी0सी0
7.	एक्रीडीशन का प्रकार (स्थाई/अस्थाई)	
8.	संस्था संचालक का नाम	
9.	संस्था संचालक का पता	
10.	संस्था संचालक का फोन नम्बर	बेसिक मोबाइल
11.	संस्था की ई-मेल आई0डी0	
12.	संस्था निजी भवन में है या किराये के भवन में?	
13.	यदि किराये के भवन में हैं तो करार की तिथि/अवधि	
14.	संस्था के भवन का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट) में	
15.	संस्था के पास क्लास रूमों की संख्या (क्षेत्रफल अलग-अलग वर्ग फीट में)	
16.	संस्था के पास कम्प्यूटर लैब की संख्या	
17.	संस्था के पास कुल कम्प्यूटरों की संख्या	
18.	कम्प्यूटरों का मॉडल	
19.	इण्टरनेट कनेक्शन की स्थिति	
20.	प्रशिक्षकों का विवरण	

क्र0 सं0	नाम	पता	मो0नम्बर	शैक्षिक योग्यता

21.	संस्था की जनपद से दूरी	
22.	संस्था कितने वर्षो से 'ओ' लेवल, 'सी0सी0सी0'प्रशिक्षण करा रही है।	

23.	संस्था से गत तीन वर्ष में	
	(i) 'ओ' लेवल उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	
	(ii) 'सी0सी0सी0' उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	
24.	प्रशिक्षण जिसके लिए आवेदन करना है	('ओ' लेवल/सी0सी0सी0)
25.	संस्था में शौचालयों की संख्या	
26.	संस्था में पेयजल सुविधा?	
27.	संस्था में उपलब्ध कुर्सीयों की संख्या	
28.	संस्था में उपलब्ध मेजों की संख्या	
29.	संस्था में उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक उपस्थिति की मशीन लगी है/नहीं	
30.	संस्था में लाइब्रेरी की स्थिति	
31.	पुस्तकों की संख्या	
32.	संस्था में प्लेसमेंट सेल है या नहीं	
33.	संस्था से प्रशिक्षित कितने लोगों को रोजगार मिल चुका है? (विवरण संलग्न करें)	
34	संस्था के बैंक का नाम	
	ब्रांच का नाम	
	खाता संख्या	
	आई0एफ0एस0 कोड	

संलनक 2

शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों के 'ओ' लेवल/'सीसीसी' कम्पयूटर प्रशिक्षण योजना हेतु प्रशिक्षणर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप

स्कैन्ड फोटो अपलोड करें

1- वित्तीय वर्ष(*)

....

2- जनपद का नाम-(*) ....

3- प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है-
('ओ' लेवल/सीसीसी)(*) ....

4- (NIELIT) से मान्यता प्राप्त संस्था का नाम एवं पता-(*)

....

....

(जहां से आवेदक प्रशिक्षण हेतु इच्छुक है)

5- आवेदक का नाम- ....

6- पिता/पति का नाम-...

7- लिंग-पुरूष/स्त्री(*)

....

8- (क) स्थायी पता ....

....

....

(ख) पत्र व्यवहार का पता ....

....

....

9- जन्मतिथि (हाईस्कूल के प्रमाण पत्र के आधार पर)(*) ....

10- हाईस्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष (*) .... बोर्ड(*) ....
हाईस्कूल अनुक्रमांक ....

11- इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण करने का वर्ष(*) .... बोर्ड(*) ....
इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक ....

12- आधार कार्ड का नम्बर ....

13- जाति/उपजाति(*) .... धर्म(*) ....
जाति प्रमाण-पत्र संख्या .... दिनांक ....

14- माता-पिता/पति की सभी स्रोतों से वार्षिक आय (रू0 में) ....
आय प्रमाण-पत्र संख्या.... .... दिनांक ....
(यदि माता/पिता जीवित न हो तो विधिक अभिभावक की वार्षिक आय)

नोट- 1- (*) का तात्पर्य सेलेक्ट आप्शन से विवरण भरा जाना है।

2- पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों के 'ओ' लेवल/सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत रू0 01 लाख वार्षिक ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र दोनों में समान रूप से आय सीमा में आने वाले व्यक्तियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण अनुमन्य है।

3- क्रमांक 9, 10, 11, 12, 13 एवं 14 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जायें।

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनायें सही हैं, मैं शिक्षित बेरोजगार हूँ तथा मुझे पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है।

यदि कोई सूचना एवं संलग्न जाति, आय व शैक्षिक प्रमाण-पत्र त्रुटिपूर्ण/गलत/फर्जी पाये जाते हैं अथवा मेरे द्वारा प्रशिक्षण अधूरा छोड़ा जाता है, तो कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना की सम्पूर्ण धनराशि वापस कर दूँगा/दूँगी एवं विभाग मेरे खिलाफ समुचित विधिक कार्यवाही के लिये स्वतंत्र होगा।

स्थान -

दिनांक -

समय - प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर